

DOC No. - 01 / REVISION-01	CGCERT OPERATING MANUAL
CGCERT/ OM - FORMS/ Certification process	Operator's Contract Form with CGCERT (Annexure-D)
Page 1 of 4	



मूल्यांकन अनुबंध/सहमति-पत्र

उक्त अनुबंध/सहमति पत्र दिनांक(पंजीयन तिथि) से छ.ग प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) जिसे अनुबंध में आगे संक्षिप्त में संस्था के एवं आत्मज/आत्मजा/पति, को आवेदक (वैद्य) के नाम से उल्लेखित किया गया है, के मध्य स्थापित किया जाता है।

संस्था छ.ग प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) स्वतंत्र संस्था के रूप में पारम्परिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजनांतर्गत मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य सम्पादन करती है।

प्रचालक (वैद्य) ने संस्था से संपर्क स्थापित करते हुये प्रमाणीकरण हेतु आवेदन किया है एवं संस्था उक्त निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्य संपादित करने हेतु सहमत है। यह अनुबंध निम्नानुसार संपादित किया जाना है :

1. अनुबंध का प्रारंभ –

उक्त अनुबंध दिनांक (पंजीयन तिथि) से प्रारंभ होकर स्कोप प्रमाणन की वैधता तिथि तक वैध माना जायेगा।

2. प्राधिकरण (Authorization) -

प्रचालक (वैद्य) को अपने फसल उपचार प्रक्रिया (अभ्यास) व्यवसाय से संबंधित निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया संपन्न करने बावत् प्राधिकृत करता है।

3. विनियमन (Regulation) –

वैद्य का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया व्हीसीएसटीसीएचपी मानक के विनियमन में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों, इसमें दिये गये मानकों के अनुरूप संपादित की जाती हैं। सीजीसर्ट अपनी निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण व्यवस्था को उक्त विनियमन (व्हीसीएसटीसीएचपी) में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों एवं मानकों के आधार पर विकसित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। वैद्य सीजीसर्ट के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण व्यवस्था/प्रक्रिया को आवेदन करने के पूर्व विस्तार से संस्था के अधिकारियों से भली भाँति समझ सकता है, एवं उससे संबंधित आवश्यक जानकारी संस्था से प्राप्त कर सकता है।

DOC No. - 01 / REVISION-01	CGCERT OPERATING MANUAL
CGCERT/ OM - FORMS/ Certification process	Operator's Contract Form with CGCERT (Annexure-D)
Page 2 of 4	

4. प्रचालक (वैद्य) के कर्तव्य –

अ. विनियमन की जानकारी होना एवं इसका पालन सुनिश्चित करना :

ऑपरेटर/वैद्य सुनिश्चित करता है कि वह व्हीसीएसटीसीएचपी मानक पर आधारित मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया, सीजीसर्ट शुल्क एवं दण्डनीति मापदण्डों से पूरी तरह अवगत है एवं यह भी सुनिश्चित करता है कि विनियमन का परिपालन उसके उपचार पद्धति / अभ्यास एवं ज्ञान, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, पर लागू होगा। विनियमन उक्त अनुबंध का अभिन्न हिस्सा (Integral part) है।

ब. मूल्यांकन सम्पन्न कराना :

- ऑपरेटर/वैद्य निर्धारित तिथि में स्वयं की उपस्थिति में सीजीसर्ट के मूल्यांकन को संपादित करने देगा। इस मूल्यांकन की संपूर्ण अवधि के दौरान वह मौके पर उपस्थित रहकर निरीक्षक द्वारा पूछे गये समस्त प्रश्नों का शालीनतापूर्वक यथोचित उत्तर देगा, गतिविधियों से संबंधित जानकारी/अभिलेख सुव्यवस्थित रखेगा एवं उन्हें निरीक्षक को दर्शायेगा, आवश्यकता पड़ने पर जानकारी/अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध करायेगा तथा संपूर्ण प्रक्षेत्र जैसे—खेत, भवन, भण्डार गृह, उपकरण, मशीनरी इत्यादि का अवलोकन करायेगा।
- ऑपरेटर/वैद्य उक्त निरीक्षण (उपरोक्तानुसार) आवश्यकता पड़ने पर सीजीसर्ट के अन्य अधिकारियों एवं संस्था की अधिमान्यता से संबंधित पदाधिकारियों (Authorities) को भी करने देगा।
- ऑपरेटर/वैद्य निरीक्षण के दौरान यदि आवश्यकता पड़ती है तो परीक्षण तैयार औषधियों में से आवश्यकतानुसार नमूना निर्धारित विधि द्वारा निरीक्षक को लेने देगा।
- ऑपरेटर/वैद्य निरीक्षण के दौरान निरीक्षण से संबंधित समस्त आवश्यक सुविधायें निरीक्षक को उपलब्ध करायेगा एवं निरीक्षण के दौरान तथा बाद में भी उपचार केन्द्रों के भ्रमणों में (यदि आवश्यकता पड़ती है तो) पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
- ऑपरेटर/वैद्य उपरोक्तानुसार संस्था एवं अधिमान्यता से संबंधित पदाधिकारियों को उपचार केन्द्र का अद्योषित निरीक्षण' आवश्यकतानुरूप संपन्न करने देगा।
- ऑपरेटर/वैद्य द्वारा उपचार के दौरान यदि निषिद्ध सामग्री/आदान का प्रयोग हो जाता है तो वह शीघ्र ही संस्था को लिखित रूप से अवगत करायेगा।
- ऑपरेटर/वैद्य अपने अभ्यास प्रक्रिया में यदि किसी भी तरह का बदलाव करता है तो इसकी पूर्व सूचना लिखित में संस्था को देते हुये यथानुसार अनुमति प्राप्त करेगा।
- ऑपरेटर/वैद्य संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं इसकी गोपनीयता (Confidentiality) सुनिश्चित करेगा।
- ऑपरेटर/वैद्य द्वारा प्रमाणीकरण वापस (withdraw) लेने की दक्षा मे उसे प्रमाणीकरण संस्था को सूचित करते हुये स्कोप प्रमाण—पत्र संस्था को समर्पित (surrender) करना होगा।

DOC No. - 01 / REVISION-01	CGCERT OPERATING MANUAL
CGCERT/ OM - FORMS/ Certification process	Operator's Contract Form with CGCERT (Annexure-D)
Page 3 of 4	

5. निरीक्षण शुल्क –

सीजीसर्ट द्वारा निर्धारित निरीक्षण शुल्क इसमें लगने वाले समय एवं शुल्क के मापदण्ड/पैमाने के उपर आधारित हैं। परिशिष्ट में दर्शाये बिन्दुओं पर आधारित अनुसार शुल्क का भुगतान ऑपरेटर/वैद्य को एकजाई रूप से करना होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि निर्धारित निरीक्षणों से अधिक निरीक्षण करने पड़ते है तो वैद्य अतिरिक्त निरीक्षणों में लगने वाले अतिरिक्त शुल्क के भुगतान बावत् नैतिक रूप से उत्तरदायी (Accountable) होगा। मुख्यतः उक्त विशेष परिस्थितियाँ निम्नानुसार हो सकती हैं :

- वैद्य के द्वारा विनियमनों का उल्लंघन करने पर असामान्य रूप से संपन्न किये जाने वाले संभावित निरीक्षण बावत्,
- विश्वसनीयता की जाँच बावत्,
- अघोषित निरीक्षण बावत्,
- अवशेष विश्लेषण (Residue Analysis) हेतु अतिरिक्त नमूना लेने बावत् आदि।

निरीक्षण को संपन्न करने में आवश्यक कुछ दस्तावेज यदि उपलब्ध नहीं हो पाते है, तो संस्था यथानुसार उन्हें उपलब्ध कराने में लगने वाली राशि को अतिरिक्त शुल्क के रूप में लागू करके प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। निरीक्षण शुल्क के मापदण्ड उक्त अनुबंध का अभिन्न हिस्सा है, जिसे यथानुसार परिस्थितिवश संशोधित करने का संस्था को पूर्ण अधिकार है।

6. जानकारी की सुरक्षा –

उपचार एवं मूल्यांकन से संबंधित समस्त अभिलेख गोपनीय (Confidential) माने जायेंगे, एवं इनका प्रयोग इस तरह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रमाणीकरण कार्यक्रम की गोपनीयता भंग न हो। उक्त गैरप्रकटीकरण (Non-disclosure) प्रमाणीकरण कार्यक्रम/अधिमान्यता से संबंधित पदाधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा। यदि वैद्य को प्रमाणीकरण प्रक्रिया से हटाया (Revocate) जाता है, तो यह सूचना जनसाधारण को भी दी जा सकेगी।

7. अनुबंध का उल्लंघन -

अनुबंध का या व्हीसीएसटीसीएचपी मानक का उल्लंघन करने पर सीजीसर्ट उक्त अनुबंध में मानक के परिस्थितियों अनुसार दण्डित कर सकती है। दण्ड का पैमाना (Scale of Sanction) इस अनुबंध का अभिन्न हिस्सा है एवं दण्ड के प्रावधानों को परिस्थिति अनुसार संशोधित करने का संस्था को पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं। यदि इस तरह का कोई संशोधन होता है तो वैद्य को एक माह पूर्व अवगत कराया जायेगा।

8. अनुबंध की अवधि –

उक्त अनुबंध के बिन्दु क्रमांक-1 के अनुसार अनुबंध की अवधि पंजीयन तिथि से स्कोप प्रमाण पत्र की वैधता तिथि तक वैध (Vaild) रहेंगी।

DOC No. - 01 / REVISION-01	CGCERT OPERATING MANUAL
CGCERT/ OM - FORMS/ Certification process	Operator's Contract Form with CGCERT (Annexure-D)
Page 4 of 4	

9. संशोधन –

इस अनुबंध से संबंधित समस्त संशोधन (Amendment) लिखित रूप में किये जायेंगे।

10. निर्दिष्ट दस्तावेज –

निम्नलिखित दस्तावेज इस अनुबंध के अभिन्न हिस्से (Integral parts) के रूप में संलग्न किये जाते हैं :-

- संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क के माप दण्ड (Scale)
- संस्था द्वारा निर्धारित दण्ड (Saction) के माप दण्ड (Scale)
- विनियमन बावत् मार्गदर्शिका संस्था के आंतरिक मानकों VCSTCHP सहित।

11. विवाद –

संस्था इस अनुबंध के बाहर अथवा शर्तों से उत्पन्न किसी भी विवाद का अपने मेन्युअल में निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार हल करेगी।

12. न्यायालय क्षेत्राधिकारी (Court Jurisdiction) –

उक्त अनुबंध से प्रारंभ बाहर/अलावा उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही को कानूनी तौर पर रायपुर में स्थित सक्षम न्यायालय में हल करने का प्रसास किया जायेगा। यह अनुबंध से लागू होगा।

(हस्ताक्षर)

आवेदन का नाम

(हस्ताक्षर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीजीसर्ट

(सीजीसर्ट का सील)

Date----- Place_____